



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 8 मई, 2026

बैशाख 18, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता मामले अनुभाग-2

संख्या 103/84-2-2026-924976

लखनऊ, 8 मई, 2026

अधिसूचना

सा0प0नि0-35

भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देने और उनके संरक्षण तथा उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत करने हेतु कन्ज्यूमर वेलफेयर फण्ड गार्डिलाइन, 2019 बनायी गयी है तथा देश के समस्त राज्यों से उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस) फण्ड गठित किये जाने की अपेक्षा की गयी है। भारत सरकार की अपेक्षानुसार केन्द्रीय माल एवं सेवाकर नियम, 2017 के नियम 97 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता मामले अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-18/84-2-2020-84-2099-73-2020 दिनांक 3 फरवरी, 2021 द्वारा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस) कोष का गठन किया गया है, जिसमें रु0 20.00 करोड़ की धनराशि जमा है। उक्त (कॉर्पस) कोष की धनराशि से प्राप्त ब्याज की धनराशि उपभोक्ताओं के अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण सम्बन्धी गतिविधियों-उपभोक्ताओं को सुविधाओं की जानकारी देना और उन्हें जागरूक करने तथा ऐसी अन्य गतिविधियां, जो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की प्राथमिकता हो, हेतु व्यय की जानी है। उपभोक्ताओं के अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस) कोष के सफल संचालन एवं निधि के नियमन हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस) कोष नियम-2023 प्रख्यापित किया गया है।

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस) कोष नियम-2023 में व्यवहारिक कठिनाईयों के कारण उत्तर प्रदेश उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस) कोष नियम-2023 समुचित क्रियाशील नहीं हो सका है। वर्तमान नियम के गठन एवं संचालन में व्यवहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस) कोष नियम-2023 में संशोधन करते हुए राज्य सरकार निम्नलिखित कार्यकारी नियम बनाते हैं:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1—(1) ये नियम उत्तर प्रदेश उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस) कोष नियम-2026 (प्रथम संशोधन) कहे जायेंगे। (2) ये नियम तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।
परिभाषाएं	2—(क) “अधिनियम” से तात्पर्य यथास्थिति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 के अधिनियम संख्या 35) से है। (ख) “उपभोक्ता” का वही अर्थ है जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 के अधिनियम संख्या 35) की धारा-2 की उपधारा 7 में है। (ग) “उपभोक्ता आयोग” का तात्पर्य राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से है। (घ) “उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस) कोष” का तात्पर्य नियम 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस) कोष से है। (ङ) “समिति” का तात्पर्य नियम 5 द्वारा स्थापित समिति से है। (च) “उपभोक्ताओं के हित” में उपभोक्ताओं के अधिकार के संरक्षण और संवर्धन भी सम्मिलित हैं। (छ) “निबंधक” का तात्पर्य राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश के निबंधक से है। (ज) जो शब्द और पद इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 के अधिनियम संख्या 35) में परिभाषित हैं उनका क्रमशः वही अर्थ है जो उस अधिनियम में दिया गया है।
उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना	3—(1) उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस) कोष में भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि रु0 15.00 करोड़ एवं राज्य सरकार से प्राप्त राज्यांश की धनराशि रु0 05.00 करोड़ अर्थात् कुल रु0 20.00 करोड़ जमा है। (2) केन्द्रीय उपभोक्ता कल्याण कोष से सीड मनी के रूप में प्राप्त धनराशि। (3) राज्य सरकार एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि। (4) राज्य/जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में अध्यक्ष/सदस्य के पदों पर चयन हेतु प्राप्त आवेदन शुल्क की धनराशि। (5) राज्य/जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से प्राप्त होने वाले न्यायालय शुल्क एवं जिला मंचों से प्राप्त होने वाले शुल्क। (6) उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माताओं या सेवा प्रदाताओं के ऊपर आरोपित जो दण्ड की धनराशि प्राप्त होगी, जमा की जाएगी। (7) उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस) कोष में प्राप्त होने वाली धनराशि अनुसूचित बैंक के बचत खाते में रखी जायेगी। उक्त धनराशि से प्राप्त ब्याज की धनराशि उपभोक्ताओं के कल्याण हेतु व्यय की जायेगी।
उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस) कोष लेखा तथा अभिलेखों का अनुरक्षण	4—उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस) कोष से सम्बन्धित लेखा तथा अभिलेखों का अनुरक्षण (निदेशालय, उपभोक्ता मामले विभाग के गठन तक) उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा उचित ढंग से पृथक से किया जायेगा। निदेशालय के गठन के उपरान्त उक्त लेखा व अभिलेखों का अनुरक्षण निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग के स्तर पर वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा उचित ढंग से किया जायेगा। इसकी लेखा परीक्षा, महालेखापरीक्षक, महालेखाकार उत्तर प्रदेश द्वारा की जायेगी।
समिति का गठन	5—(1) उपनियम-2 के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित समिति इन नियमों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस) कोष में निहित धनराशि से प्राप्त ब्याज की धनराशि को उपभोक्ताओं के कल्याणार्थ समुचित उपयोग हेतु संस्तुति करेगी।

(2) समिति, निम्नवत होगी:-

- (क) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग-अध्यक्ष ।
- (ख) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग या उनके नामित जो विशेष सचिव स्तर से अनिम्न हो-उपाध्यक्ष ।
- (ग) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग-सदस्य ।
- (घ) निदेशक, पंचायती राज विभाग या उनके नामित जो अपर निदेशक स्तर से अनिम्न हो-सदस्य ।
- (ङ) महानिदेशक, स्कूली शिक्षा, उत्तर प्रदेश -सदस्य ।
- (च) भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के संयुक्त सचिव या उनके नामित-सदस्य ।
- (छ) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा अधिकृत अधिकारी-सदस्य सचिव ।
- (ज) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग- सदस्य ।
- (झ) राज्य सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के विशेष सचिव/संयुक्त सचिव- सदस्य ।
- (ञ) निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग-सदस्य ।

(3) यह समिति स्थायी समिति होगी ।

6-(1) समिति की, जब कभी आवश्यक हो बैठक होगी, किंतु वर्ष में कम से कम एक बार बैठक अवश्य होगी ।

कार्यवाही के संचालन की प्रक्रिया

(2) समिति की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी जिसे अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में समिति का उपाध्यक्ष उचित समझे ।

(3) समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(4) समिति की प्रत्येक बैठक समिति के प्रत्येक सदस्य को लिखित सूचना देकर, जो ऐसी सूचना के जारी किये जाने की तारीख से कम से कम 10 दिन बाद की होगी, बुलायी जायेगी ।

(5) समिति की बैठक की प्रत्येक सूचना में बैठक का स्थान और दिन तथा समय भी विनिर्दिष्ट होगा और उसमें सव्यवहृत किये जाने वाली कार्यवाही का विवरण होगा ।

(6) समिति की कोई कार्यवाही तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक कि उसकी अध्यक्षता अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा न की गयी हो और कम से कम तीन अन्य सदस्य उपस्थित न हो ।

7-समिति निम्नलिखित विषयों पर संस्तुति करेगी, यथा

समिति की शक्तियाँ और कृत्य

(1) कोष में प्राप्त ब्याज की धनराशि के व्यय पर निर्णय लेना ।

(2) व्यय निम्नलिखित मदों में किया जा सकेगा:-

(क) उपभोक्ता जागरूकता हेतु ।

(ख) राज्य उपभोक्ता आयोग/जिला उपभोक्ता आयोग में वादियों की सुविधा हेतु लघु निर्माण कार्य/सामग्री की व्यवस्था ।

(ग) जागरूक उपभोक्ताओं के पुरस्कार की व्यवस्था करना ।

(घ) ख्याति प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से निम्नलिखित हेतु सहायता देना:-

(i) उपभोक्ता अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान और उसका संवर्धन कर सकेगा ।

(ii) उपभोक्ता अधिकारों पर जागरूकता का प्रसार और संवर्धन कर सकेगा ।

(iii) उपभोक्ता अधिकारों के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संस्थाओं को उपभोक्ता संरक्षण अभिकरणों के साथ सहयोग और कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना ।

(ङ) अन्य कोई मद, जो उपभोक्ता कल्याण से सम्बंधित हो, जिनका उल्लेख नहीं है, उसके लिए शासन से अनुमति प्राप्त की जाएगी ।

नियंत्रक अथवा
राज्य सरकार
द्वारा अधिकृत
अधिकारी के कार्य

8—शासन के अनुमोदनोपरान्त उक्त धनराशि को समिति की संस्तुति के अनुसार व्यय करने हेतु नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग अथवा ऐसा अधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा उक्त कृत्य हेतु अधिकृत किया जाये, को निर्देशित किया जाएगा।

उपभोक्ता कल्याण
कोष में संशोधन
हेतु प्राधिकृत
किया जाना

9—उत्तर प्रदेश उपभोक्ता कल्याण (कॉर्पस) कोष नियम-2026 (प्रथम संशोधन) में मा10 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर संशोधन किया जा सकेगा।

आज्ञा से,
रणवीर प्रसाद,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 145 राजपत्र-2026-(292)-599 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 1 सा0 उपभोक्ता मामले-2026-(293)-200 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।